फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि0- 30.08.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सिपाही लाल उर्फ सिपाही राम पुत्र छविनाथ निवासी भोजपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 14/2019 वाद सं0- 216/2019 धारा- 304,308,323,504 IPC थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 30.08.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-09 कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा दोषसिद्ध कर 05 वर्ष 08 माह का कठोर कारावास व 7500 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी- श्री अनुज प्रताप सिंह

कोर्ट मोहर्रिर म0हे0का0 ज्योति

पैरोकार का0 संजीव कुमार

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट –कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 30.08.2024

आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने वाले 02 अभियुक्त कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, **श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री** जय सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.08.2024 को थाना कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/24 धारा-108 बीएनएस में नामित अभियुक्तगण 01. दीपक पुत्र शिवदयाल निवासी ग्राम भैसार मजरा धर्मपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़, 2- पवन पुत्र सैंकूलाल निवासी ग्राम भगौतीपुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को दिनांक 30.08.2024 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त का नाम व पता:-

01. दीपक पुत्र शिवदयाल निवासी ग्राम भैसार मजरा धर्मपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
02. पवन पुत्र सैंकूलाल निवासी ग्राम भगौतीपुर थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 29.08.2024 को रामवीर पुत्र स्व0 सोनपाल निवासीगण ग्राम भगौतीपुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा अभियुक्तगण 01.दीपक पुत्र शिवदयाल निवासी ग्राम भैसार मजरा धर्मपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़, 02. पवन पुत्र सैंकूलाल निवासी ग्राम भगौतीपुर थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध अपनी व पप्पू उर्फ महेन्द्र की पुत्री को प्रताडित करनें जिस कारण उनकी पुत्रियों द्वारा आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में एक लिखित तहरीर कोतवाली कायमगंज पर दी जिसके आधार पर कोतवाली कायमगंज द्वारा **मु0अ0सं0 176/24 धारा-108 बीएनएस बनाम अभियुक्तगण दीपक एवं पवन उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।**

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.08.2024 को कोतवाली कायमगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भगौतीपुर में 02 लड़कियों के शव गांव के निकट आम के बाग में एक ही दुपट्टे से जिसमें दो दुपट्टों को आपस में जोड़ा गया था, के एक-एक सिरे पर लटके मिले थें। लड़कियों के मिट्टी लगे पैरों के निशान पेड़ पर मिले थे तथा घटनास्थल से चप्पलें एव एक मोबाइल फोन बरामद हुए थे। तथा एक सिमकार्ड लड़की के कपड़ो से मिला था, घटना की सही जानकारी हेतु दोनों लड़कियों के शवों का डाक्टरों के पैनल द्वारा वीड़ियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एन्टीमोर्टम हैंगिग(आत्महत्या) की पुष्टि हुयी थी तथा दोनों लड़कियों के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नही पाये गये थे।

परिवारीजनों से वार्ता एवं अभियुक्तगण से पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आये है कि अभियुक्तगण दोनो लड़कियों को एक ही गाँव का होने के कारण पहले से जानते थे। अभियुक्तगणों की दर्जी की दुकान है जहाँ मृतकाओं के परिवारीजनों का कपड़े सिलाने के क्रम में आना-जाना था। इसी जान पहचान का फायदा उठाकर दोनो अभियुक्तगणों द्वारा लड़कियों से बातचीत करने का प्रयास किया जाता था। इसके विषय में लड़कियों के द्वारा रामवीर की पत्नी को भी अवगत कराया गया था। मीरा देवी के द्वारा इन लड़को को पूर्व में भी लड़कियों पर बातचीत का दबाब बनाने के लिए मना किया गया था। मौके पर मिले अन्य साक्ष्यो का परिक्षण कराया जा रहा है एवं दोनो युवको को हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जा रहा है तथा घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की गहनता से जाँच की जा रही है।

अभियुक्त दीपक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 176/24 धारा 108 बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त पवन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास :-

01.मु0अ0सं0 176/24 धारा 108 बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली काय़मगंज पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रामऔतार
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार
3. का0 जितेन्द्र सिहं
4. का0 रोहित कुमार

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस पुलिस टीमः-

01. उ0नि0 विशेष कुमार
02.हे0का0 अनुराग कुमार
03.हे0का0 करन
04.हे0का0 संदीप

गिरफ्तार करने वाली एसओजी पुलिस टीमः-

01.उ0नि0 जितेन्द्र पटेल
02.उ0नि0 राजेश राय
03.हे0का0 गजराज सिंह
04.हे0का0 बलबीर
05.का0 दिव्याशुं
06.का0 विकास
07.का0 विनोद

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

मदन मोहन कानोडिया
बालिका इ. कॉलेज
फर्रुखाबाद

महादेवी वर्मा
इण्टर कालेज
चेतावनी